न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री रजत यादव (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 150/2024 (जी.सी.एम.एस. 2024/261)

वादिया बनाम प्रतिवादी

1. बिना देवी उर्फ भगवानी पुत्री वाधूमल पत्नी [illegible] जाति सिन्धी निवासी श्रीकरणपुर हाल [illegible] मकान संख्या 1 99 [illegible] कॉलोनी सूरतगढ़, तहसील सूरतगढ़।

1. [illegible] राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू 06.08.2024

उपस्थित: 1.श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा, श्री सुखविन्द सिंह सरां अधिवक्ता वादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट

दिनांक 29.11.2024

---निर्णय---

1. संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादिया के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 1 एफ ए. पटवार हल्का 46 एफ. भू.अ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 26/20 के मुरब्बा नम्बर 10 29 की कुल 5.481 हेक्टेयर भूमि मे से 1/21 हिस्सा वादिया के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त जमाबन्दी में वादिया का नाम भगवानी उर्फ बीना पुत्री वाधूमल दर्ज है। वादिया के पहचान सम्बधी दस्तावेजो में नाम बिना देवी अंकित है। वादिया के नाम मे भिन्नता होने के कारण कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओ से झूजना पड़ता है। इस कारण वादी मुताबिक दस्तावेजो के आधार पर नाम संशोधित करवाने हेतु घोषणात्मक अनुतोष का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है। वर्तमान में अनुदान ऋण संबंधित आवेदन पत्र ऑनलाईन हो चुके है, जिनका दस्तावेजो के अनुरूप मिलान किया जाता है, उसके पश्चात् ही अनुदान/ऋण स्वीकृत करना अनिवार्य कर दिया है। इस कारण विभिन्न समस्याओ से झूजना पड़ रहा है। इसलिए भी उक्त संशोधन करवाने हेतु वादी माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर उक्त आशय के संशोधन हेतु घोषणा करवा रहा है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 1 एफ ए. पटवार हल्का 46 एफ. भू.अ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 26/20 में वादिया के अंकित नाम भगवानी उर्फ बीना पुत्री वाधूमल स्थान पर बिना देवी उर्फ भगवानी पुत्री बाधूमल पत्नी वासुदेव दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे।

2. वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पत्रांक 3403 दिनांक 11.11.2024 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक निरीक्षण करने पर पाया कि बिना देवी उर्फ भगवानी पुत्री वाधूमल पत्नी वासुदेव एक ही औरत के दो नाम है। उक्त दोनों नामों से प्रार्थिया को जाना व पहचाना जाता है। अतः प्रार्थिया का नाम बिना देवी उर्फ भगवानी पुत्री वाधूमल पत्नी वासुदेव जाति सिन्धी किया जाना उचित है।

3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादिया, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादिया अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानो का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 1 एफ ए. पटवार हल्का 46 एफ. भू.अ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 26/20 की प्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, पैन कार्ड की छायाप्रति, पासपोर्ट की छायाप्रति, बैंक पासबुक की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है। कि वादिया के द्वारा राजस्व ग्राम 1 एफ ए. पटवार हल्का 46 एफ. भू.अ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 26/20 में क्रम संख्या 7 पर वादिया के अंकित नाम भगवानी उर्फ बीना पुत्री वाधूमल स्थान पर बिना

R yadav
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

देवी उर्फ भगवानी पुत्री बाबूमल पत्नी वासुदेव दर्ज किए करवाने बाबत निवेदन किया है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार निरीक्षण करने पर पाया कि बिना देवी उर्फ भगवानी पुत्री बाबूमल पत्नी वासुदेव एक ही औरत के दो नाम है। उक्त दोनों नामों से प्रार्थिया को जाना व पहचाना जाता है। अतः प्रार्थिया का नाम बिना देवी उर्फ भगवानी पुत्री बाबूमल पत्नी वासुदेव जाति सिन्धी किया जाना उचित है। लिहाजा वादपत्र वादिया रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादिया के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, शपथ पत्र, के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादिया अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136 राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 1 एफ ए, पटवार हल्का 46 एफ, भू.अ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 26/20 में क्रम संख्या 7 पर वादिया के अंकित नाम भगवानी उर्फ बीना पुत्री बाबूमल स्थान पर भगवानी उर्फ बिना देवी पुत्री बाबूमल दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तूर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ रेकर्ड मण्डार जमा हो।

{रजत यादव (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

निर्णय आज दिनांक 29.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

{रजत यादव (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री रजत यादव (आई.ए.एस.)

बिना देवी उर्फ भगवानी बनाम राजस्थान सरकार

धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट

मुकदमा नम्बर 150/2024

निर्णय दिनांक :- 29.11.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादिया अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा, श्री सुखविन्द्र सिंह सरां उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादिया अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 1 एफ ए, पटवार हल्का 46 एफ, भू.अ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 26/20 में क्रम संख्या 7 पर वादिया के अंकित नाम भगवानी उर्फ वीना पुत्री वाधूमल स्थान पर भगवानी उर्फ बिना देवी पुत्री वाधूमल दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 29.11.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{रजत यादव (आई.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**04**	**00**	**योग**	**00**	**00**

{रजत यादव (आई.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर
दिनांकः 29.11.2024

क्रमांकः रीडर/2024/608

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{रजत यादव (आई.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)